an>

Title: Need to make law to check judiciary in the country.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): अध्यक्ष महोदया, मेरा क्षेत्र एक साइड में पाकिस्तान से लगा है, दूसरी तरफ गुजरात है और फिर राजस्थान आता है। हमारे यहां लोग शांति से जी रहे थे, लेकिन वहां के सम्माननीय कोर्ट ने एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है। कोर्ट ने खनन के लिए पट्टे जारी करने का आदेश सरकार को दे दिया है। जो प्राइवेट माफिया खनन कर रहे हैं, उनको पट्टे दिए जाएं और वे लोग बजरी उठा रहे हैं। बजरी किसान लोग अपना घर बनाने के लिए ले जा रहे हैं। वहां पर उन्होंने पट्टे देने की बात करके बजरी वालों ने काम शुरू कर दिया। आपने भी देखा होगा कि जहां भी खनन होता है, वहां गुंडे होते ही हैं। वे लोग अलग-अलग जगहों गुंडे बुलाकर किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि आप कोई ऐसी नीति बनाएं कि कोर्ट में बैठे हुए जज, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जज कुछ भी आदेश दे देते हैं जिसके कारण वहां के लोगों का जीना दूभर हो जाए तो ऐसे आदेश पर रोक लगाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। आज जो गरीब-किसान न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जाता है...(व्यवधान) मेरा निवेदन है कि वे लोग वहां मार-पीट करते हैं। वहां पांच दिन से एक बच्चे का अपहरण हुआ है। इसके बारे में जांच होनी चाहिए और वहां कोर्ट के कारण हम फंस रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हम कोई ऐसा कानून बनाएं जिससे जजों पर भी अंकुश लगे। यही मेरी मांग है।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री अश्विनी कुमार चौबे और डॉ. सत्यपाल सिंह को श्री देवजी एम. पटेल द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।